उत्तर प्रदेश शासन
परिवहन अनुभाग-3
संख्या-99/2024/1444/तीस-3-2024
लखनऊ, दिनांकः 30 जुलाई, 2024

अधिसूचना

अन्तर्देशीय जलयान अधिनियम, 2021 (अधिनियम संख्या 24 सन् 2021) की धारा-20 की उपधारा (1) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके और अधिसूचना संख्या-03/2022/1761/तीस-4-2021, 2021, दिनांक 05.01.2022 का अधिक्रमण करके ऐसे अधिक्रमण से पूर्व कृत या किये जाने हेतु विलोपित बातों के सिवाय राज्यपाल राज्य के समस्त संभागीय परिवहन कार्यालयों यथा- मेरठ, गाजियाबाद, सहारनपुर, आगरा, अलीगढ़, झांसी, बरेली, मुरादाबाद, कानपुर, प्रयागराज, बांदा, लखनऊ, अयोध्या, बस्ती, गोण्डा, वाराणसी, गोरखपुर, आजमगढ़ तथा मीरजापुर को अन्तर्देशीय जलयानों के रजिस्ट्री के स्थान के रूप में नियत करते हैं और राज्यपाल अग्रतर राज्य के समस्त संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन) को अपने प्रभागीय परिक्षेत्र के अधीन जिलों के लिए अन्तर्देशीय जलयानों के रजिस्ट्रार के रूप में नियुक्ति करते हैं।

आज्ञा से,
ह0/-
(एल0 वेंकटेश्वर लू)
प्रमुख सचिव।

संख्या-99/2024/1444(1)/तीस-3-2024 तददिनांक।

प्रतिलिपि संयुक्त निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश, राजकीय मुद्रणालय ऐशबाग, लखनऊ को अधिसूचना की अंग्रेजी प्रति सहित इस आशय के साथ प्रेषित कि कृपया उक्त अधिसूचना की दिनांक **30** जुलाई **,2024** के असाधारण गजट के परिशिष्ट, भाग-4, खण्ड (क) (सामान्य परिनियम नियम) में प्रकाशित करवाने तथा प्रकाशित अधिसूचना की 200 प्रतियाँ परिवहन अनुभाग-3 कक्ष संख्या-323, बापू भवन, उत्तर प्रदेश सचिवालय को यथाशीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्नकः यथोक्त।

आज्ञा से,
ह0/-
(के0पी0 सिंह)
विशेष सचिव।

संख्या-99/2024/1444(1)/तीस-3-2024 तददिनांक।

प्रतिलिपि निदेशक, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, (विज्ञापन प्रभाग) उत्तर प्रदेश, लखनऊ को इस आशय के साथ प्रेषित कि कृपया इस अधिसूचना को प्रदेश के 02 प्रमुख दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित कराते हुए उनकी प्रतियां शासन को तत्काल उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

आज्ञा से,
ह0/-
(के0पी0 सिंह)
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

संख्या-99/2024/1444(1)/तीस-3-2024 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

(1) परिवहन आयुक्त, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि वह कृपया निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग से सम्पर्क स्थापित कर उक्त अधिसूचना को प्रदेश के 02 प्रमुख दैनिक दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित कराने हेतु किसी अभिज्ञ अधिकारी को निर्देशित करने का कष्ट कष्ट करें।

(2) समस्त संभागीय परिवहन अधिकारी/सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी/संभागीय निरीक्षक (प्राविधिक), उत्तर प्रदेश (द्वारा परिवहन आयुक्त)।

(3) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

ह0/-

(नितिन कुमार गुप्त)

अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

UTTAR PRADESH SHASAN
PARIVAHAN ANUBHAG-3

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article-348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Notification no. 99/2024/1444/XXX-3-2024 dated 30 July ,2024

NOTIFICATION

No.99 / 2024/1444 /XXX-3-2024
Lucknow, Dated: 30 July, 2024

In exercise of the powers under sub-section (1) of section 20 of the Inland Vessels Act,2021(Act no. 24 of 2021) and in supersession of Notification no. 03/2022/1761/30-4-2021 dated 05-01-2022, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Governor is pleased to appoint all the Regional Transport Offices of the State like Meerut, Ghaziabad, Saharanpur, Agra, Aligarh, Jhansi, Bareilly, Moradabad, Kanpur, Prayagraj, Banda, Lucknow, Ayodhya, Basti, Gonda, Varanasi, Gorakhpur, Azamgarh and Mirzapur as places of registry of inland vessels; and the Governor is further pleased to appoint all the Regional Transport Officers (Administration) of the State as Registrar of Inland Vessels for the districts under their divisional range.

By Order,

Sd/-
(L. Venkateshwar Lu)
Pramukh Sachiv.

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।